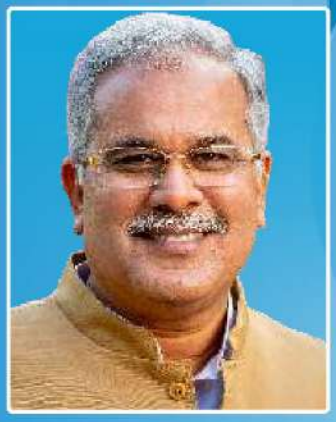
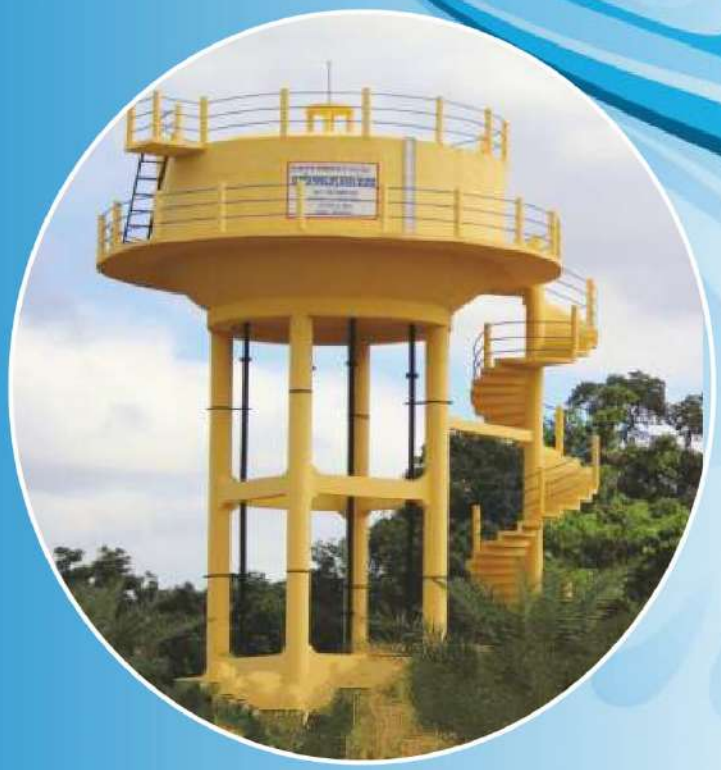
छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



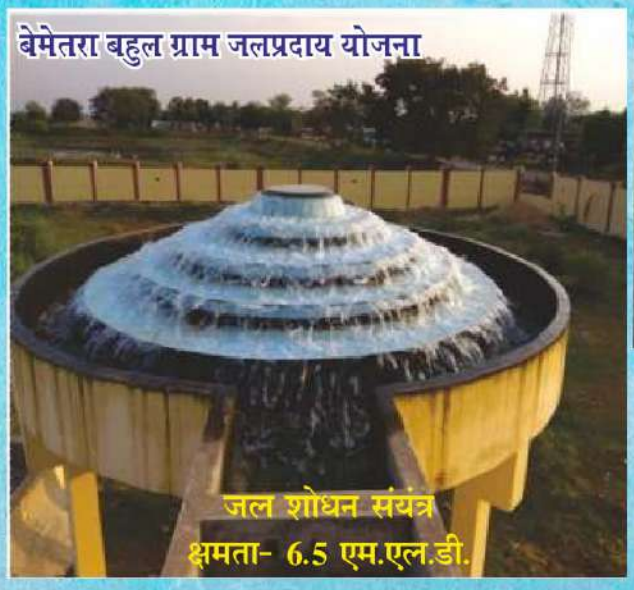




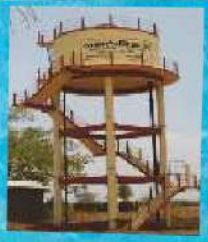
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2018-2019



माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा दिनांक 05.01.2019 को ली गयी विभागीय समीक्षा बैठक







बेमेतरा बहुल ग्राम समूह जलप्रदाय योजना जिला बेमेतरा

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

2018-19

मंत्री - माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार

मंत्रालय

सचिव - श्री डी.डी. सिंह

उप सचिव - श्री पी.डी. पुरबिया

विषेश कर्तव्यस्थ अधिकारी - श्री कैलाश मढ़रिया

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता - श्री टी. जी. कोसरिया



कुरा आवर्धन जलप्रदाय योजना उच्चस्तरीय जलागार क्षमता 500 कि.ली.

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ कमांक
1.	भाग–1 विभागीय संरचना	1–10
2.	भाग–2 बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	11–11
3.	भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	12–33
4.	भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय	34–36
5.	भाग–5 सारांश	37–42



नलकूप खनन कार्य ग्राम अगसरा विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग



ग्राम गंगपुर विकासखण्ड बेमेतरा, जिला बेमेतरा-स्थापित हैण्डपंप

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्यः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचनाः

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैंः–

(अ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुरः

कार्यक्षेत्र - रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 10 जिलें क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम।

(ब) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय बिलासपुरः

कार्यक्षेत्र - बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 10 जिलें क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया।

(स) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुर

कार्यक्षेत्र - बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिलें क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का प्रभारी है, जिनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना:

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर एवं कोण्डागांव में मण्डल कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय है। इन कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता हैं।

प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और बिलासपुर में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के कुल 31 खंड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता सिविल, पदस्थ होते है।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर में स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विद्युत/यांत्रिकी संकाय के खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप के संधारण हेतु स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध वर्ष 2018–19 में 164 हैण्डपंप मैकेनिकों की नियुक्ति की गयी।

विभागीय संरचना

माननीय मंत्रीजी

↓

सचिव

↓

प्रमुख अभियंता

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर

- (1) खण्ड रायपुर
 - उपखंड रायपुर
 - भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर
- (2) खण्ड धमतरी
 - उपखंड धमतरी
 - उपखंड कुरूद
 - उपखंड नगरी
- (3) खण्ड महासमुंद
 - उपखंड महासमुंद
 - उपखंड सरायपाली
- (4) खण्ड बलौदाबाजार
 - उपखंड भाटापारा
 - उपखंड बलौदाबाजार
 - उपखंड कसडोल
- (5) खण्ड गरियाबंद
 - उपखंड गरियाबंद
 - उपखंड राजिम
 - उपखंड देवभोग
- (6) परि. खण्ड रायपुर
 - परि. उपखंड क्र. 1 रायपुर.
 - परि. उपखंड क्र. 2 रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग

- (1) खण्ड दुर्ग
 - उपखंड दुर्ग
 - उपखंड पाटन
- (2) खण्ड बालोद
 - उपखंड बालोद
 - उपखंड गुंडरदेही
 - उपखंड डौंडी
- (3) खण्ड बेमेतरा
 - उपखंड बेमेतरा
 - उपखंड साजा
- (4) खण्ड राजनांदगांव
 - उपखंड राजनांदगांव
 - उपखंड चौकी
 - उपखंड डोंगरगढ़
 - उपखंड खैरागढ़
 - उपखंड छुईखदान
 - उपखंड मोहला
 - वि. संघा. उपखण्ड, राजनांदगांव
- (5) खण्ड कबीरधाम
 - उपखंड कवर्धा
 - उपखंड पंडरिया
 - उपखंड बोडला
- (6) परि.खण्ड बेमेतरा
 - परि. उपखंड क्र.1 बेमेतरा
 - परि. उपखंड क्र.2 बेमेतरा
 - परि. उपखंड क्र.3 बेमेतरा

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर

- (1) खण्ड बिलासपुर
 - उपखंड बिलासपुर
 - उपखंड गौरेला
 - उपखंड तखतपुर
- (2) खण्ड मुंगेली
 - उपखंड मुंगेली
 - उपखंड पथरिया
- (3) खण्ड कोरबा
 - उपखंड कोरबा
 - उपखंड कटघोरा
- (4) खण्ड जांजगीर - चांपा
 - उपखंड चांपा
 - उपखंड सक्ती
 - उपखंड डभरा
 - उपखंड अकलतरा
- (5) खण्ड रायगढ़
 - उपखंड रायगढ़
 - उपखंड खरसिया
 - उपखंड सारंगढ़
 - उपखंड घरघोडा
 - उपखंड धरमजयगढ़
- (6) परि.खण्ड बिलासपुर
 - उपखंड क्र. 1 बिलासपुर
 - उपखंड क्र. 2 बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर

- (1) खण्ड अंबिकपुर
 - उपखंड अम्बिकापुर
 - उपखंड सीतापुर
- (2) खण्ड बलरामपुर
 - उपखंड बलरामपुर
 - उपखंड कुसमी
 - उपखंड रामानुजगंज
 - उपखंड वाड्रफनगर
- (3) खण्ड सूरजपुर
 - उपखंड सूरजपुर
 - उपखंड प्रतापपुर
 - उपखंड ओड़गी
- (4) खण्ड जशपुर
 - उपखंड जशपुर
 - उपखंड कुनकुरी
 - उपखंड पत्थलगांव
 - उपखंड कांसाबेल
- (5) खण्ड कोरिया
 - उपखंड बैकुंठपुर
 - उपखंड मनेन्द्रगढ़
 - उपखंड चिरमिरी
 - उपखंड जनकपुर

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर

- (1) खण्ड जगदलपुर
 - उपखंड क्र.1 जगदलपुर (मुख्यलय बस्तर)
 - उपखंड क्र.2 जगदलपुर
 - उपखंड तोकापाल
 - भू.सं.उपखंड जगदलपुर
 - संधा.उपखंड जगदलपुर
- (2) खण्ड दंतेवाड़ा
 - उपखंड दंतेवाड़ा
 - उपखंड क्र.2 दंतेवाड़ा
- (3) खण्ड सुकमा
 - उपखंड सुकमा
 - उपखंड कोंटा
- (4) खण्ड बीजापुर
 - उपखंड बीजापुर
 - उपखंड भोपालपटनम
- (5) परि. खण्ड जगदलपुर
 - परि.उपखण्ड क्र 3 जगदलपुर
 - परि.उपखण्ड क्र 4 जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव

- (1) खण्ड कोण्डागांव
 - उपखंड कोंडागांव
 - उपखंड केशकाल
- (2) खण्ड कांकेर
 - उपखंड कांकेर
 - उपखंड भानुप्रतापपुर
 - उपखंड अंतागढ़
- (3) खण्ड नारायणपुर
 - उपखण्ड नारायणपुर

अधीक्षण अभियंता, वि./यां.मंडल,रायपुर

- (1) वि/यां खण्ड रायपुर
 - वि/यां उपखंड रायपुर
 - वि/यां उपखंड गरियाबंद
 - वि/यां उपखंड बलौदाबाजार
 - वि/यां उपखंड धमतरी
 - वि/यां उपखंड महासमुंद
- (2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव
 - वि/यां उपखंड दुर्ग
 - वि/यां उपखंड बालोद
 - वि/यां उपखंड बेमेतरा
 - वि/यां उपखंड राजनांदगांव
 - वि/यां उपखंड कवर्धा
- (3) वि/यां खण्ड बिलासपुर
 - वि/यां खण्ड बिलासपुर
 - वि/यां खण्ड मुंगेली
 - वि/यां उपखंड चांपा
 - वि/यां उपखंड कोरबा
 - वि/यां उपखंड रायगढ़
- (4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर
 - वि/यां उपखंड अम्बिकापुर
 - वि/या उपखंड सूरजपुर
 - वि/या उपखंड बलरामपुर
 - वि/यां उपखंड कोरिया
 - वि/यां उपखंड जशपुर
- (5) वि/यां खण्ड जगदलपुर
 - वि/यां खण्ड जगदलपुर
 - वि/यां खण्ड कोण्डागांव
 - वि/यां उपखंड दंतेवाडा
 - वि/यां उपखंड सुकमा
 - वि/यां उपखंड कांकेर
 - वि/यां उपखंड बीजापुर
 - वि/यां उपखंड नारायणपुर

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्रमुख अभियंता	01
2.	मुख्य अभियंता (वि/यां)	01
3.	मुख्य अभियंता (सिविल)	04
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12
5.	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	01
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	36
7.	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	06
8.	कार्यपालन अभियंता (एम.आई.एस.)	01
9.	संयुक्त संचालक (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	01

राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलाजिस्ट) (प्रतिनियुक्ति)	03
2.	हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
3.	सहायक भू–जलविद्	01
4.	सहायक अभियंता (सिविल)	130
5.	सहायक अभियंता (वि/यां)	33
6.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	04
8.	मुख्य रसायनज्ञ	01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप–अभियंता (सिविल)	406
2	उप–अभियंता (वि./यां.)	130
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलाजिस्ट)	02
4	फोरमेन	01
5	रिग ऑपरेटर	05
6	सहायक रिग ऑपरेटर	05
7	ड्रिलर	10
8	मुख्य मानचित्रकार	01
9	मानचित्रकार	48
10	सहायक मानचित्रकार	47
11	अनुरेखक	102

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
12	मुख्यालय अधीक्षक	01
13	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
15	सहायक ग्रेड–1 (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10
16	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07
17	वरिष्ठ निज सहायक	01
18	निज सहायक	04
19	शीघ्रलेखक	13
20	लेखापाल	04
21	सहायक ग्रेड–2	15
22	सहायक ग्रेड–3	30
23	स्टेनोटायपिस्ट	42

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
24	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03
25	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	47
26	केमिस्ट	28
27	सहायक केमिस्ट	01
28	वाहन चालक	13

अराजपत्रित राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
29	सुपरवाईजर	01
30	दफ्तरी	04
31	भृत्य	28
32	चौकीदार	01

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक ग्रेड–2	201
2	सहायक ग्रेड–3	274
3	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति से)	36

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	प्रयोगशाला सहायक	29
5	हैण्डपंप तकनीशियन	876
6	इलेक्ट्रिशियन	01
7	फिटर	02
8	शिफ्ट ड्राईवर	01
9	टर्नर	02
10	वेल्डर	01
11	ट्रक चालक	28
12	वाहन चालक	94
13	चालक सह सहायक	18
14	एयर कम्प्रेशर चालक	03
15	मैकेनिक (वि./यां.)	13

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय चतुर्थ (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
16	दफ्तरी	29
17	भृत्य	263
18	हेल्पर	16
19	लाईनमेन	02
20	क्लीनर	13
21	चौकीदार (नियमित)	102

1.4 विभाग का दायित्वः

प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का कियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम नलजल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं कियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का संचालन एवं संधारण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यो का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- मेले में पेयजल एवं अस्थाई शौचालय व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।

1.5 सामान्य जानकारी

प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबाद ग्राम 19,708 हैं, इनमें कुल 74,619 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 112 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का कियान्वयन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में 56 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत शासकीय ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.7 लक्ष्य :-

- 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईपलाईन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 10 प्रतिशत से कम ।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों एवं योजनाओं का संधारण।

1.8 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2018 की स्थिति में) :

(1)	ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011)	:	19,708
(2)	बसाहटें	:	74,619
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,72,493
	सोलर पंप	:	6622

(4)	शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण शालाओं की संख्या	:	50,622
(5)	आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	:	27,264
(6)	ग्रामीण नल जलप्रदाय योजनाएं :–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	4,097
	पूर्ण योजनाएं	:	3,485
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	305
	निविदा प्रक्रियाधीन योजनाएं	:	307
(7)	स्थल जल प्रदाय योजनाएं:–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,882
	पूर्ण योजनाएं	:	2,877
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	05
(8)	सोलर आधारित मिनी नल जलप्रदाय योजनाएं :–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2027
	पूर्ण योजनाएं	:	1785
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	242
(9)	पेयजल गुणवत्ता :–01.04.2018 की स्थिति में गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की संख्या –516		
	1. आयरन प्रभावित बसाहटें	:	227
	2. फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें	:	285
	3. नाईट्रेट प्रभावित बसाहटें	:	04
	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराये गये बसाहटों की संख्या(दिसंबर, 2018 की स्थिति में)	:	3
(10)	सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटेड पंप स्थापना कार्य	:	
	1. कुल स्वीकृत कार्य	:	5,134
	2. पूर्ण कार्य	:	4,837

(11) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :–

नगरीय निकायों की संख्या	:	168
नगर पालिक निगम	:	13
नगर पालिका परिषद्	:	43
नगर पंचायत	:	112
कियान्वित योजनाएं	:	112
प्रगतिरत् योजनाएं	:	56



कुरूद आवर्धन जलप्रदाय योजना-इंटेकवेल

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

(राशि लाख रू. में)

क्र	कार्य का विवरण	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	नलकूप खनन कार्य (राज्य मद)	4180.00	4143.85	4472.60	4469.85	6219.80	3599.61
2	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1360.00	1326.22	1000.00	997.34	1088.00	627.60
3	भूजल संवर्धन कार्य	203.00	0.00	124.00	122.55	136.40	0.00
4	पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय (राज्य मद)	2925.00	2352.66	3753.24	3461.04	6610.76	2102.82
	नाबार्ड पोषित पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय	16724.50	8965.20	8500.00	6672.30	12400.00	3753.40
	सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना	8817.33	8590.76	7000.00	5189.40	1100.00	428.40
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्यांश)	6400.00	5553.00	8500.00	6190.33	9500.00	2059.71
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश)						
	1. कार्यक्रम मद	9600.00	5955.04	7092.59	4499.19	9067.32	2059.71
	2. सपोर्ट मद	297.83	218.30	385.15	310.82	216.34	120.92
	3. जल गुणवत्ता मद (WQM&S)	257.04	223.13	216.36	167.90	216.34	125.31
7	अन्य केन्द्रीय मद (M & I Cell का गठन)	66.45	19.89	42.00	16.54	42.72	12.62
8	जलनिकासी योजना (राज्य मद)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
9	संचालन एवं संधारण (आयोजना)	940.50	919.20	7439.30	5615.15	7835.78	4028.83
10	संचालन एवं संधारण (आयोजनेत्तर)	6004.27	4595.72	-	-	-	-
11	मशीनरी एवं उपकरण	635.00	542.68	345.00	113.12	379.50	18.97
12	शहरीय/नगरीय जल प्रदाय योजना (राज्य मद)	11796.17	10682.46	12500.00	10620.15	12016.27	7625.23
13	अन्य (राज्य मद)	28963.91	21511.62	33349.50	26266.26	35050.41	18011.70

भाग - तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं :-

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण पेयजल प्रदाय के वे कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं, का क्रियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है ।

राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल प्रदाय :-

(अ) **हैण्डपम्प योजनाएं** : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों एवं शासकीय शालाओं में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2018 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	6,580	3,499	2,966	533
2.	शालाओं में नलकूप खनन	1,208	861	718	143
3.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	221	144	130	14



ग्राम पोण्डी विकासखण्ड रामानुजनगर, जिला सूरजपुर

(ब) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से घरेलू कनेक्शन द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

नलजल प्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त मझौले ग्राम अथवा ऐसे ग्राम जहाँ पेयजल स्रोत का जलस्तर नीचे हो अथवा निर्मित जल स्रोत पीने योग्य न हो, वहाँ दूर स्थित स्रोत से पाईप लाईन द्वारा ग्राम/बसाहट में निवासरत् जनसमुदाय/परिवार/व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जाता रहा है ।

वर्ष 2013–14 से राज्य में स्थलजल प्रदाय योजना का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा लिये निर्णय अनुसार पूर्व से कियान्वित समस्त स्थल जल प्रदाय योजनाओं को टंकी युक्त नलजल योजना में परिवर्तित किया जा रहा है।



नलजल प्रदाय योजना ग्राम असौंदा, विकासखण्ड तिल्दा, जिला रायपुर

(स) बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना:

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित बहुल ग्राम जल योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं।

1. विभागीय बजट से कियान्वित बहुल ग्राम जल प्रदाय योजनाएं

1.1 बहुल ग्रामों की पूर्ण जल प्रदाय योजनाएं:-

क्र	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	54	6297.30 7885.06 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 05.10.2018	जलप्रदाय चालू	2809
2	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	57	6322.03	18.02.2013	जलप्रदाय चालू	4425
3	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	41	3825.00	15.02.2013	जलप्रदाय चालू	3102
4	राजनांद गांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Arsenic Affected)	20	2041.63 2922.98 (प्रथम पुनरीक्षित) 3384.966 (द्वितीय प्रथम पुनरीक्षित)	07.02.2015 16.03.2016 04.05.2017	जलप्रदाय चालू	1979
5	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	कोसारटेडा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (फ्लोराईड प्रभावित)	33	4976.00 4968.00 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 10.09.2018	जलप्रदाय प्रारंभ	4400



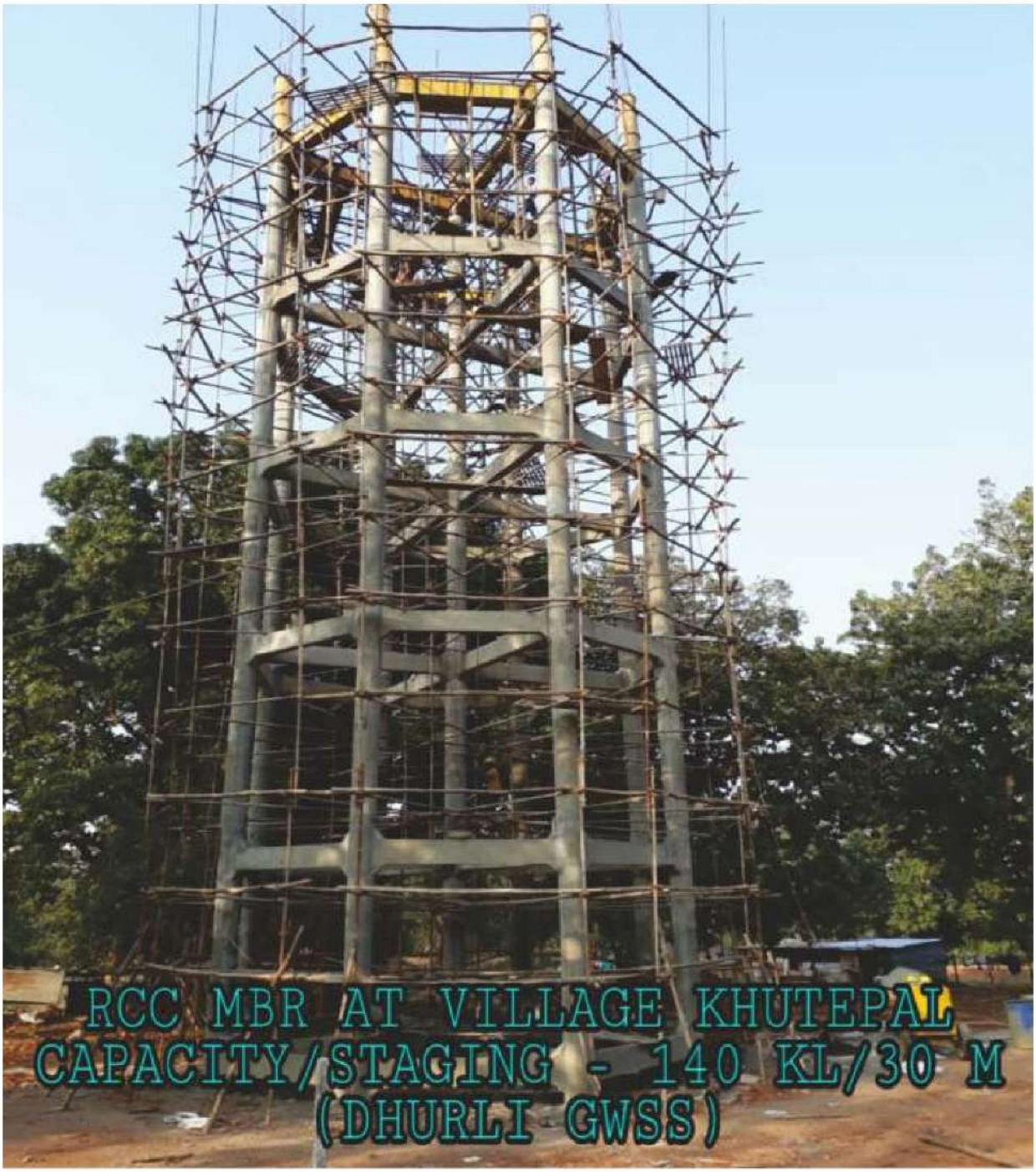
बहुल ग्राम योजना नवागढ़ जिला बेमेतरा - क्लेरीफ्लाकूलेटर (सी.जी.एम., नाबार्ड द्वारा निरीक्षण करते हुए)

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
6	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	9	1835.36 2494.14 (पुनरीक्षित)	18.03.2016 18.06.2018	95 प्रतिशत पूर्ण
7	राजनांद गांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	90 प्रतिशत पूर्ण
8	राजनांद गांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	85 प्रतिशत पूर्ण
9	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68 1356.30 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 26.06.2018	80 प्रतिशत पूर्ण
10	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	11	1417.06 1618.99 (पुनरीक्षित)	09.02.2016 09.02.2016	75 प्रतिशत पूर्ण
11	सूरजपुर	सूरजपुर	हर्राटिकरा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	40 प्रतिशत पूर्ण
12	बीजापुर	भोपालपट नम	भोपालपट्नम रालापल्ली की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	20 प्रतिशत पूर्ण
			कुल	**316**	41646.77		

2. निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृत बहुल ग्रामों की प्रगतिरत् जलप्रदाय योजनाः-

(दिसंबर 2018 की स्थिति में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	स्वीकृत दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	मद	भौतिक प्रगति अद्यतन
1	दन्तेवाड़ा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना	8	11/01/2018	1482.55	एन.एम.डी.सी.	80%
2		धुरली समूह जल प्रदाय योजना	17	11/01/2018	3866.00	एन.एम.डी.सी.	75%
3	कोरबा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना (कुल 17 ग्राम)	17	05.05.2017	3218.90	डी.एम.एफ.	उच्चस्तरीय जलागार निर्माण कार्य एवं जल वितरण प्रणाली का कार्य प्रगतिरत्। इंटेकवेल ट्रीटमेंट प्लांट की निविदा प्रक्रियाधीन।
4		धनरास, छुरीखुर्द एवं आई.टी.आई. चोरभट्ठी समूह जल प्रदाय योजना (कुल 08 ग्राम)	8	10.04.2014	मूल 437.37 पुनरीक्षित 1008.40	एन.टी.पी.सी.	उच्चस्तरीय जलगार निर्माण कार्य पूर्ण। क्लीयर वॉटर पंपिंगमेन का कार्य प्रगतिरत्।
5		मॉ मड़वारानी समूह जल प्रदाय योजना (कुल 19 ग्राम)	19	31.03.2018	3136.85	डी.एम.एफ.	निविदा प्रक्रियाधीन।
6	कोरिया	ग्राम कटगोडी समूह जलप्रदाय योजना	9	09.05.2018	1463.19	डी.एम.एफ.	–



बहुल ग्रामों की धुरली जलप्रदाय योजनांतर्गत निर्माणाधीन एम.बी.आर ग्राम खूटेपाल

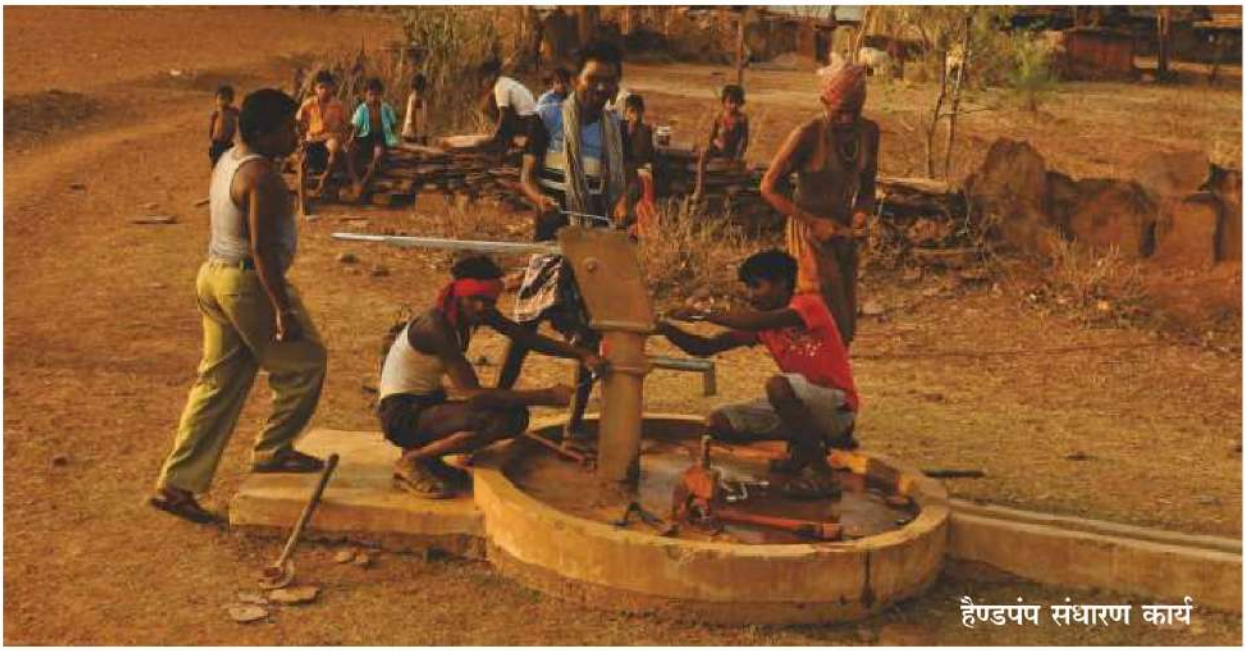
(द) संचालन एवं संधारण :

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं (हैंडपंप, नलजल प्रदाय एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं) के संचालन एवं संधारण कार्यक्रम हेतु कुल प्रावधानित वार्षिक निधि का अधिकतम 15 प्रतिशत राशि निर्धारित थी।

वर्ष 2017–18 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम मद से इस कार्य हेतु राशि प्रदान नहीं की जा रही है। वर्तमान में संचालन एवं संधारण कार्य में होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ओस्मेसिस) के संधारण कार्य किये जाते है। इसी क्रम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार क्रमशः रू. 15,000.00 एवं रू. 5,000.00 के वार्षिक अनुदान ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।



हैण्डपंप संधारण कार्य

3.1.2 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में क्रियान्वित की जाती है। संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. प्रगतिरत् योजनाएं:-

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
1	धमतरी	कुरूद	कुरूद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1728.34	25.03.2015	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
2	धमतरी	कुरूद	भखारा–भठेली की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1061.00	14.05.2015	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
3	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1655.00	12.03.2012	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
4	बेमेतरा	नवागढ़	नवागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	594.54	11.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
5	बेमेतरा	साजा	थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	336.88	14.02.2013	जलप्रदाय प्रारंभ
6	कबीरधाम	पंडरिया	पांडातराई नगर की जलप्रदाय योजना	294.13	31.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
7	राजनांदगांव	डोगरगढ़	डोगरगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1529.64	31.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
8	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	656.48	08.01.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
9	मुंगेली	बिल्हा	पथरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	187.00	28.10.2017	जलप्रदाय प्रारंभ
10	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
11	बलरामपुर	रामानुजगंज	बलरामपुर नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	806.85	05.05.2012	जलप्रदाय प्रारंभ
12	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28	14.02.2013	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
13	बस्तर	बस्तर	बस्तर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	949.49	14.02.2013	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
14	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.88	30.03.2017	–
15	रायपुर	धरसींवा	कुरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1083.87	25.08.2015	–
16	रायपुर	आरंग	आरंग नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1690.22	10.03.2015	–
17	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	माना केम्प आवर्धन जलप्रदाय योजना	941.66	17.04.2017	–
18	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1932.88	23.08.2017	–
19	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96	26.03.2016	–
20	महासमुन्द	बागबाहरा	बागबाहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1306.75	11.02.2013	–
21	महासमुंद	महासमुंद	तुमगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	930.02	22.03.2016	–
22	गरियाबंद	राजिम	राजिम नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	729.99	04.12.2015	–
23	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	भटगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	973.90	14.02.2013	–
24	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	लवन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1087.02	14.02.2013	–
25	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	टुण्डरा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	634.39	14.02.2013	–
26	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	सिमगा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1561.74	10.03.2015	–
27	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3052.81	21.04.2015	–
28	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016	–
29	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1065.24	30.03.2017	–
30	दुर्ग	पाटन	पाटन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1524.00	15.09.2015	–
31	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016	–

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
32	बालोद	बालोद	बालोद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1884.00	14.02.2013	—
33	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016	—
34	बिलासपुर	मरवाही	गौरेला नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1142.26	29.04.2013	—
35	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1164.99	28.03.2018	—
36	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3014.97	12.03.2013	—
37	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	856.87	12.02.2013	—
38	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर आवर्धन जलप्रदाय योजना	689.92	04.06.2016	—
39	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	3447.80	28.03.2018	—
40	रायगढ़	सारंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1333.04	31.03.2017	—
41	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	बलौदा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	544.04	31.03.2015	—
42	बलरामपुर	प्रतापपुर	वाड्रफनगर आवर्धन जलप्रदाय योजना	969.96	31.03.2017	—
43	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3448.75	29.04.2013	—
44	सूरजपुर	प्रेमनगर	सूरजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2352.40	25.03.2015	—
45	कोरबा	तानाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	794.16	31.03.2017	—
46	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1089.55	31.03.2017	—
47	जशपुर	जशपुर	बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना	977.56	31.03.2017	—
48	जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना	801.37	31.03.2017	—
49	कोण्डागांव	केशकाल	केशकाल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	649.90	14.02.2013	—
50	कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	653.41	14.02.2013	—

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
51	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46	30.05.2012	—
52	कांकेर	अंतागढ़	अंतागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	413.56	10.03.2015	—
53	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बारसूर आवर्धन जलप्रदाय योजना	1012.57	04.05.2016	—
54	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	किरंदुल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	616.59	08.03.2010	—
55	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	1370.38	17.08.2017	—
56	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	3448.70	31.03.2018	—

3.2 केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं: केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना का विवरण निम्ननुसार है:–

3.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन किया जाकर पूर्व संचालित ''गतिवर्धित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम'' के स्थान पर "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष घटक–वार कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित कार्ययोजना पर प्राप्त आबंटन अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर कियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 नवबंर, 2017 से जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कियान्वयन मुख्यतः दो मदों में कियान्वित किया जा रहा है, विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) कव्हरेज मद :- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 90 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 निर्धारित है।

(ब) सपोर्ट मद:- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस

मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मदः- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, फील्डटेस्ट किट का क्रय, जलपरीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2018–19 में रू. 239.33 करोड़ की कार्ययोजना राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी (SLSSC) द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

पूर्व वर्षों के प्रगतिरत् कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार नये कार्य लिये गये हैं :–

1. प्रगतिरत् कार्यः-

1.1	नलजल प्रदाय योजना	–	321 नग
1.2	फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	–	21 नग

2. नवीन कार्य :-

2.1	खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.)घोषित ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना	–	275 नग

(ब) सपोर्ट मद

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं को गति प्रदान करने एवं सॉफ्टवेयर गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता वृद्धि आदि में सहायता के उददेश्य से सहायक कार्यों का प्रावधान किया गया है। इनके अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, जल परीक्षण, प्रयोगशाला स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, प्रशिक्षण, सेमिनार के साथ–साथ संचार एवं क्षमता विकास के कार्य एवं मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) आदि के कार्य संपादित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक गतिविधियों के लिए रू. 807.58 लाख तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के लिए रू 844.26 लाख इस प्रकार दोनों गतिविधियों के लिए कुल रू. 1630.52 लाख की कार्य योजना अनुमोदित है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सहायक गतिविधियाँ :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं –

01. **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां** : प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस. एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।

02. **सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण** : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

03. **मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉ** : उपखण्ड स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, समस्या निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित मैप की सहायता से स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं पेयजल स्रोतों के आँकड़ों के संकलन का कार्य, राज्य तकनीकी अभिकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परीयोजनाएँ आदि।

04. **स्थापना व्यय** :- छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) में नियोजित अमले की स्थापना एवं सहायक सामग्रियों पर व्यय तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर हेतु मानव संसाधन एवं सहायक सामग्रियों की व्यवस्था का प्रस्ताव। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर समुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, जागरूकता एवं उनकी सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त सुरक्षित जल प्रदाय के लिए नलजल योजनाओं के माध्यम से घरेलू नल कनेक्शन द्वारा जलप्रदाय को प्राथमिकता दी जानी है ।

ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के उपयोग के लिए प्रेरित एवं उपयोग सुनिश्चित किये जाने पर प्रत्येक निजी घरेलू कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन–कर्ता यथा, आशा कार्यकर्ता (मितानिन) इत्यादि को सपोर्ट मद से प्रोत्साहन राशि रू. 75.00 दिये जाने का प्रावधान है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के कार्य हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ प्रस्तावित हैं –

प्रदेश में स्थापित पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट एवं पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल परीक्षण का कार्य। 01 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं 10 प्रयोगशालाओं का उन्नयन का कार्य। नये फील्ड टेस्ट किट प्रदाय के साथ पूर्व प्रदायित फील्ड टेस्ट किट के लिए आवश्यक रिफिल प्रदाय एवं ग्राम स्तर पर जल परीक्षण हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण का कार्य। जी.आई.एस. मैपिंग के लिये स्रोत परीक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के लिए रू. 844.26 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित है, के अंतर्गत लक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:–

1.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण	–	12,075
2.	फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण	–	6,97,122
3.	प्रयोगशाला में जल परीक्षण	–	39,339
4.	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना	–	1
5.	स्थापित प्रयोग शालाओं का उन्नयन	–	10
6.	नयी फील्ड टेस्ट किट का वितरण	–	2,324
7.	पूर्व वितरित फील्ड टेस्ट किट के लिए रसायन का वितरण	–	975

पूर्व में जिला दुर्ग एवं राजनांदगांव की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका था। अक्टूबर, 2018 में जिला रायपुर की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को भी एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। राज्य की अन्य जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहें हैं।



एन.ए.बी.एल. प्रमाणित जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला, रायपुर

3.2.2 एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत आई.ए.पी. जिलों में सोलर पंप स्थापना का कार्य :- अति उग्रवाद से प्रभावित जिलों के बसाहटों में सोलर पंप आधारित नलजल प्रदाय योजना कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उच्च जलक्षमता वाले बोरवेल में सोलर उर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप, 3 मीटर की उंचाई पर स्थित एच.डी.पी.ई./स्टेनलेस स्टील टंकी एवं पाईप लाईन के द्वारा ग्रामीण घरों/आवासों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कराया जाना है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस योजनांतर्गत बोरवेल में स्थापित हैण्डपंप यथावत कार्यरत् रहता है। योजना की वित्तीय व्यवस्था नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से 40 प्रतिशत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश) से 30 प्रतिशत एवं राज्यांश से 30 प्रतिशत के अनुपात में की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आई.ए.पी. जिलों (पूर्व के 18 जिलों में से) के 1722 बसाहटें इस योजनांतर्गत चिन्हित की गई हैं। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 960 बसाहटों में सोलर पंप स्थापना का कार्य किया गया था। उक्त उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सराहना की गयी।

भारत सरकार द्वारा उपलब्धि को देखते हुए द्वितीय चरण हेतु राशि रू. 2065.22 लाख जारी किये गये हैं, जिसके अंतर्गत 1054 सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग पंपों की स्थापना के कार्य प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 150 नग सोलरपंप स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 904 सोलर पंप स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक राशि जारी की गयी जिसका कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत 1,765 बसाहटों में सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

3.2.3 एम.एन.आर.ई. के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना का कार्य :- भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से छ.ग. राज्य हेतु 2000 ग्रामीण बसाहटों में सोलर ड्यूअल पंप की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2000 सोलरपंप के स्थापना हेतु एम.एन.

आर.ई. मद से रू. 0.432 लाख प्रति डी.सी. पंप हेतु कुल रू. 864.00 लाख की राशि छत्तीसगढ़ केडा को प्राप्त हो चुकी थी। भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2017 द्वारा Funding Pattern 50:50 (केन्द्रांश 50: राज्यांश 50) निर्धारित तदानुसार राशि रू. 2080.00 लाख (केन्दांश राशि रू. 1040.00 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 1040.00 लाख) उपलब्ध कराते हुए 17 जिलों के लिए 470 नग सोलर पंप की स्थापना हेतु राशि जारी कर दी गयी। माह दिसंबर, 2018 तक 460 सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

3.2.4 नीति आयोग से प्राप्त निधि :- भारत सरकार, नीति आयोग (ग्रामीण विकास खंड), नई दिल्ली द्वारा आर्सेनिक एवं फ्लोराईड से प्रभावित राज्यों में पेयजल व्यवस्था हेतु राशि रू. 105.00 लाख का आबंटन राज्य को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत 15 नग फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। स्थापित किये गये फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	जिला	विकासखंड	ग्राम का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	रायपुर	अभनपुर	उमरकोटी	पूर्ण
2		आरंग	छटेरा	पूर्ण
3		आरंग	भलेरा	पूर्ण
4		तिल्दा	रजिया	पूर्ण
5		धरसींवा	कपसदा	पूर्ण
6	महासमुंद	बागबाहरा	हरनादादर	पूर्ण
7		बागबाहरा	रोदा	पूर्ण
8		बागबाहरा	खल्लारी	पूर्ण
9		बागबाहरा	धरमापुर	पूर्ण
10		बागबाहरा	तमोरा (साल्हेभाटा)	पूर्ण
11		बागबाहरा	तमोरा (स्कूलपारा)	पूर्ण
12		बागबाहरा	तमोरा (तमोरीपारा)	पूर्ण
13		बागबाहरा	बिरजपानी	पूर्ण
14		बागबाहरा	परसदा–खट्टी	पूर्ण
15	बालोद	डौण्डी	कटरेल	पूर्ण

3.2.4 राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप-मिशनः– राज्य की फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य स्वीकृत है जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामों/बसाहटों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	बसाहट की जनसंख्या	प्रभावित बसाहट की जनसंख्या
1.	बागबाहरा	चरोदा	चरोदा	चरोदा	1187	556
2.	बागबाहरा	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	1205	309
3.	बागबाहरा	मामा भांचा	डोंगरीपाली	डोंगरीपाली	709	199
4.	बागबाहरा	मोहदी	मोहदी	टिकरापारा	96	96
5.	बसना	चनाट	चनाट	चनाट	879	76
6.	महासमुंद	नांदगांव	नांदगांव	पटेलबाहरा	315	315
7.	महासमुंद	नवागांव	झीलमिला	झीलमिला	145	145
8.	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	जीवतरा	566	308
9.	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	कमारपारा	258	258
10.	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	आदिवासीपारा	268	268
11.	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	सलिहाभाठा	394	394
12.	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरला	601	601
13.	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरलापड़ाव	78	78
14.	सरायपाली	भीखापाली	कोकड़ी	कोकड़ी	324	324
15.	सरायपाली	दर्राभाटा	दर्राभाटा	दर्राभाटा	539	539

3.2.5 स्वजल योजनाः-

- राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में स्वजल योजना के अंतर्गत समुदाय के मांग पर सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलप्रदाय योजना का कियान्वन किया जाना है।
- 10 आकांक्षी जिले कमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं महासमुन्द सम्मिलित हैं।
- घरेलू नल कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाना है। जिससे खुले में शौच से मुक्त ग्रामों में शौचालयों के उपयोग की निरंतरता भी बनी रहे।
- योजना का कियान्वयन एवं संचालन–संधारण समुदाय के द्वारा किया जाना है।
- योजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत समुदाय के सहयोग से शेष राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य शासन को भारित होगा।
- योजना का संचालन–संधारण की राशि शतप्रतिशत समुदाय द्वारा वहन किया जावेगा।
- भारत सरकार की नई योजना ''स्वजल'' हेतु दिनांक 18.07.2018 को जगदलपुर संभाग स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कमिश्नर बस्तर संभाग एवं प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की उपस्थिति में जिलों के कलेक्टर्स एवं कार्यपालन अभियंताओं को स्वजल योजना के कियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने बाबत प्रशिक्षण दिया गया।
- दिनांक 28 एवं 29 अगस्त 2018 को पुणे महाराष्ट्र में भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वजल योजना की कार्यशाला में राज्य स्तर से प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं मुख्य अभियंता, रायपुर परिक्षेत्र रायपुर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
- भारत सरकार की नई योजना ''स्वजल'' हेतु यूनिसेफ, छ.ग. के माध्यम से आयोजित कार्यशाला दिनांक 24.9.2018 से 28.9.2018 को आयोजित किया गया। जिसमें पांच राज्यों – महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दिनांक 27.9.2018 को विकासखंड़ आरंग के ग्राम खम्हरिया में समस्त प्रशिक्षणार्थियों को फिल्ड विजिट कराई गई एवं समस्त प्रतिभागियों को विभाग द्वारा कियान्वित सोलर मिनी नलजल प्रदाय योजना के निर्माण तथा संचालन–संधारण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।



- मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर एवं संचालक, WSSO, रायपुर द्वारा नैनीताल, उत्तराखंड में, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और यूनिसेफ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "स्वजल–डिसेमिनेशन कार्यशाला" दिनांक 30.11.2018 में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया।
- स्वजल योजना के अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट बस्तर जिले के ग्राम सेड़वा, विकासखण्ड दरभा में कियान्वित किया गया है। योजना का कार्य दिनांक 10.10.2018 को पूर्ण कर ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार हैः–
- स्त्रोत – 03 नग नलकूप मय सोलर पम्प (1 HP)
- टंकी – 03 नग 10000 ली. HDPE टंकी
- स्टेजिंग – 06 मी. जी.आई. फ्रेम्ड स्ट्रक्चर
- घरेलू कनेक्शन – 138
- शाला, आँगनबाड़ी एवं बालिका छात्रावास में नल संयोजन – 01 (प्रत्येक)
- योजना का संधारण–संचालन का कार्य – ग्राम पंचायत एवं महिला स्व–सहायता समूह द्वारा दिनांक 10.10.2018 को पूर्ण कर ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है।





स्वजल योजना ग्राम सेड़वा, विकासखण्ड दरभा, जिला बस्तर

- योजना के अंतर्गत 10 आंकाक्षी जिलों में 137 योजनाएँ समुदाय द्वारा मांग की गयी है। प्रस्तावित योजनाओं की संख्या जिलेवार निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	योजनाओं की संख्या
1.	कोरबा	18
2.	महासमुन्द	10
3.	राजनांदगांव	10
4.	कांकेर	11
5.	नारायणपुर	11
6.	कोण्डागांव	12
7.	बस्तर	31
8.	सुकमा	10
9.	दंतेवाड़ा	14
10.	बीजापुर	10
	योग–	137

3.2.6 छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र क्रमांक डब्लू–11037/51/2002–टी.एम.– IV (पी.टी.–) दिनांक 16.06.2003 के साथ प्रेषित मार्गदर्शिका अनुसार "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)" का गठन छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1761/एफ–8–1/03/34–2/03 दिनांक 21.08.2003 के द्वारा किया गया था। "राज्य पेयजल एवं स्व्च्छता मिशन (SWSM)" का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2003 को किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य–430/2003 है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2009 से लागू राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) की मार्गदर्शिका (Guideline) के पैरा 10 एवं 12.4 परिशिष्ट VII पैरा 4 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक W–11042/72/2009–Water दिनांक 24.08.2010 द्वारा जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO) का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक 2291/एफ–9–22/2011/34–2/02 दिनांक 22.12.2011 द्वारा WSSO की कार्यप्रणाली उत्तरदायित्व आदि के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा–निर्देशों को अमल में लाते हुए WSSO को संचालित किया जा रहा है।

WSSO के कार्य SLSSC से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 अनुसार एवं भारत सरकार की वेब साईट पर अपलोड अनुसार संचालक WSSO के द्वारा कियान्वित किया जा रहा है। इस कार्ययोजना में विगत वित्तीय वर्षों में चल रहे कार्यों जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत् होने के कारण रखा गया है, भी शामिल है। शासन के आदेश क्रमांक 2291, दिनांक 22.12.2011 में शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 3706, दिनांक 30.09.2015 द्वारा संचालक WSSO, प्रमुख अभियंता एवं सदस्य सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (कार्यकारिणी समिति) निर्देशन में कार्य करेंगे।

संगठन द्वारा किये गये कार्य :- वर्ष 2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक) में छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य संपादित किए गए :–

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत किए गए कार्यों पर भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार "नीर" शीर्षक पत्रिका का वितरण समस्त जिलों को करते हुये विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रचार–प्रसार किया गया। इस पुस्तिका का वितरण दिनांक 25–26.04.2018, 9–10.05.2018 को भारत सरकार स्तर पर भी संचालक, WSSO द्वारा सचिव, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, संयुक्त सचिव (जल), संचालक (जल) तथा प्रभारी अधिकारी इत्यादि को विभिन्न समीक्षा बैठकों में भारत सरकार स्तर पर किया गया।

2. प्रचार–प्रसार की सामग्री जिलों को उपलब्ध कराकर विभिन्न जिलों में मेलों, राज्योत्सवों एवं अन्य आयोजनों में पेयजल के क्षेत्र में प्राप्त विभागीय उपलब्धियों, पेयजल की गुणवत्ता, दूषित पेयजल के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं उसकी रोकथाम जल संवर्धन, पेयजल स्त्रोत की सुरक्षा एवं साफ–सफाई इत्यादि विषयों पर जन–जागरूकता लाने एवं ग्रामीणों की क्षमता विकास करने कार्यक्रमों में जिलों को सहयोग प्रदान किया गया।

3. दिनांक 03.05.2018 से 05.05.2018 तक को भारत स्काऊट एवं गाईड की दुर्ग में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में जिला राजनांदगांव, दुर्ग एवं रायपुर की प्रयोगशालाओं में पदस्थ रसायनज्ञों के माध्यम से जलगुणवत्ता परीक्षण किट (FTK) का प्रशिक्षण स्कूली बच्चों को दिया गया।

4. विभाग द्वारा जिलों की प्रयोगशालाओं मे कार्यरत् रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों, समस्त उप अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतगर्त जलगुणवत्ता परीक्षण, अनुश्रवण एवं निगरानी प्रोटोकॉल के समस्त 18 पैरामीटर के हिन्दी में प्रयोगशाला परीक्षण, पेयजल सुरक्षा चक्र, कर्तव्य एवं दायित्व, विभिन्न प्रयोगशाला के उपकरण एवं सामग्रियों, विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों इत्यादि विषय पर सारगर्भित जानकारी सहित मैन्युअल बनाकर, STA, NIT, रायपुर से वेटिंग कराते हुये, प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त मैदानी स्तर के अधिकारियों एवं प्रयोगशालाओं में कार्यरत् कर्मचारियों के बीच वितरित की गई।

5. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.11.2018 को नागपुर, महाराष्ट्र में एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी., आई.एम.आई.एस. पर वृहद प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग, परिक्षेत्र बिलासपुर एवं सहायक अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग के नेतृत्व में समस्त 27 जिलों के सहायक अभियंता/उपअभियंता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 28.11.2018 को आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में प्रमुख अभियंता, लो.यां.वि.विभाग, छ.ग. एवं संचालक, WSSO ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया।

3.2.7 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठः-

भारत सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका, 2013 यथा संशोधित अनुसार विभाग में पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन शासन द्वारा किया गया है। प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तकनीकी एवं सामान्य विषयों पर विभाग के 105 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 40 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष -2018 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं
दिनांक - 01.01.2018 से 31.12.2018 तक

क.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट और ई–कोष एवं बिल सबमिशन, मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट	01.01.2018 से 12.01.2018 12.03.2018 से 24.03.2018 14.05.2018 से 26.05.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	04 04 04
2	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन	27.10.2018 30.11.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02 02
3	फ्लड रिस्क मैनेजमेंट माइटीगेशन	02.07.2018 से 06.07.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	04
4	आंतरिक लेखा परीक्षण, अंकेक्षण उनका पालन प्रतिवेदन।	22.01.2018 से 24.01.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02
5	इथिक्स एन्ड वेल्यू इन पब्लिक गवर्नेन्स	09.07.2018 से 11.07.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02
6	स्टोर पर्चेस रूल्स एन्ड टेन्डर प्रोसिस	25.06.2018 से 30.06.2018 17.12.2018 से 21.12.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02
7	बेसिक कोर्स इन डाजेस्टर मैनेजमेंट	07.03.2018 से 09.03.2018 07.05.2018 से 11.05.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	04 04
8	वित्तीय प्रबंधन	18.06.2018 से 22.06.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02
9	अप्रेंटिश एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी., कम्पयुटर इंजी., आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री/डिप्लोमा एवं मॉर्डन ऑफिस मेनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण	01.01.2018 से 31.12.2018 तक	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में	40
10	तनाव प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण	04.06.2018 से 06.06.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	03
11	जिला स्तरीय प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. मापदण्ड के अनुसार करने हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण	24.07.2018 से 27.07.2018	CIPET, RAIPUR	12
12	बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट	19.12.2018	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	01

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
13	जेन्डर ईशू और जेन्डर बजटिंग	03.01.18 05.01.18 14.03.18 16.03.18	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	02 02
14	क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन एन्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन	07.03.2018 से 11.03.18	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	01
15	रूफटॉप रैन वॉटर हारवेस्टिंग एन्ड वॉटर कॉन्सरवेशन	07.05.2018 से 11.5.18	NGWTRI, Raipur	02
16	सरफेस जियोफिजिकल इन्वेस्टीगेशन फॉर जी.डब्ल्यू प्रॉसपेक्टिंग	11.06.2018 से 15.6.18	NGWTRI, Raipur	02
17	ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस एस्टीमेशन	25.06.18 से 29.06.18	NGWTRI, Raipur	02
18	हाईड्रोलिक एण्ड पंपिंग टेस्ट डाटा एनालिसिस	02.07.18 से 06.07.18	NGWTRI, Raipur	01
19	एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेन्सिंग एण्ड जियोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम इन ग्राउंड वॉटर स्टडीस	16.07.18 से 20.07.18	NGWTRI, Raipur	02
20	ग्राउंड वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एण्ड एसेसमेंट	23.07.18 से 27.07.18	NGWTRI, Raipur	01
21	वॉटर क्वालिटी एनालिसिस एण्ड लेब प्रेक्टिस	30.07.18 से 03.08.18	NGWTRI, Raipur	02
22	वॉटर लॉ इन ऑनरशिप इष्यू एण्ड इनवायरमेंटल क्लीरेंस फॉर ग्राउंड वाटर विथड्रावल	06.08.18 से 10.08.18	NGWTRI, Raipur	01
23	ग्राउंड वॉटर क्वालिटी कॉन्टमीनेशन एण्ड रिमेडीशन	08.10.18 से 12.10.18	NGWTRI, Raipur	01
24	साईट सिलेक्शन फार वॉटर वेल कन्स्ट्रक्शन	08.10.18 से 12.10.18	NGWTRI, Raipur	01
25	विभाग मे नवीन चयनित सहायक अभियंताओं को आधारभूत प्रशिक्षण	15.01.18 से 25.01.18	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	32
26	रेन वॉटर हारवेस्टिंग	04.09.18 से 11.09.18	IPHE, KOLKATA	01
			कुल	**145**

भाग - पाँच

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं कियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीणजनों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उनके घरों में ही उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का अधिक से अधिक कियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।



सोलर पॉवर आधारित मिनी नलजल प्रदाय योजना ग्राम बमलिया, विकासखण्ड सीतापुर, जिला सरगुजा

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही है। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के कियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं।

राज्य की फ्लोराईड से प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य किया जावेगा।

राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में स्वजल योजना के अंतर्गत समुदाय के मांग पर सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलप्रदाय योजना का कियान्वयन 10 आकांक्षी जिलों कमशः बस्तर, देतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं महासमुन्द में किया जा रहा है। इस योजना से घरेलू नल कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाना है। जिससे खुले में शौच से मुक्त ग्रामों में शौचालयों के उपयोग की निरंतरता भी बनी रहे। योजना का कियान्वयन एवं संचालन–संधारण समुदाय के द्वारा किया जावेगा। योजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत समुदाय के सहयोग से शेष 90 प्रतिशत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य शासन को भारित होगा। वर्तमान में पायलेट प्रोजेक्ट बस्तर जिले के ग्राम सेंड़वा में कियान्वित किया गया है। इस योजना के कियान्वयन हेतु 10 आंकाक्षी जिलों में 137 योजनाएं समुदाय द्वारा मांग की गयी है।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त 27 जिलों के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 18 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्रोत की डिजिटल GIS maping के कार्य कीयोजना प्रगतिरत् है।

ग्राम सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल व्यवस्था पर किये गये कार्यों की जानकारी :-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अद्यतन स्थिति	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य पूर्ण का दिनांक
1	ग्रामवासियों द्वारा ग्राम से बाहर के पानी उपलब्ध कराने की मांग के कारण ग्राम से 02 कि.मी. बाहर ग्राम निष्ठीगुड़ा में नलजल योजना के स्त्रोत हेतु 02 नलकूपों का खनन	दोनों स्त्रोत सफल	16.06.2017	17.06.2017
2	लो–वोल्टेज की समस्या के कारण ग्राम सुपेबेड़ा में 01 नग ड्यूल ऑपरेटेड सोलर पंप की स्थापना का कार्य	कार्य पूर्ण	05.07.2017	14.03.2018
3	ग्राम से बाहर निष्ठीगुड़ा से पाईप लाईन के माध्यम से ग्राम सुपेबेड़ा में जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन का कार्य	कार्य पूर्ण	31.07.2017	16.08.2017
4	सोलर आधारित 03 नग आर्सेनिक रिमूवल प्लांट की स्थापना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.मद)	कार्य पूर्ण	16.08.2017	28.02.2018
5	प्रभावित क्षेत्र में लो–वोल्टेज की समस्या के कारण ग्राम निष्ठीगुड़ा के नलजल योजना के पावर पंपों हेतु सोलर आधारित पावर पंप की स्थापना का कार्य	कार्य पूर्ण	19.12.2017	14.03.2018
6	सोलर आधारित 03 नग फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट (राज्य मद) की स्थापना	कार्य पूर्ण	07.02.2018	31.03.2018
7	ग्रामवासियों के मांग पर सुपेबेड़ा में नलजल योजना के अंतर्गत पूर्व में बिछाये गये पुराने पाईप लाईन को बदलने का कार्य	कार्य पूर्ण	09.02.2018	22.02.2018
8	ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम सुपेबेड़ा में अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने का कार्य	कार्य प्रगति पर	11.09.2018	30.09.2018

ग्राम सुपेबेड़ा में विभाग द्वारा लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु सोलर पॉवर आधारित दो पॉवर पंप, सोलर पॉवर आधारित 3 आर्सेनिक रिमूव्हल प्लांट एवं सोलर पॉवर आधारित 3 फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। ग्राम में स्थापित 6 हैण्डपंप एवं 1 सोलर पंप के जल का उपयोग ग्रामवासी निस्तारी के लिए करते है।

इस प्रकार ग्राम सुपेबेड़ा के निवासियों को लगभग 100 ली. प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जो राष्ट्रीय मापदण्ड 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। ग्राम में 80 घरेलू नल कनेक्शन भी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदान किया गया है।



फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट


आर्सेनिक रिमूव्हल प्लांट

7.2 नगरीय पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं कियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पूर्व नगरीय क्षेत्रों में कियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित कियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं स्वीकृत एवं कियान्वित की जा रही है।

7.3 विविधः-

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल में गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी भू–जल स्रोतों पर आधारित योजनाओं का मांग अनुसार सतही स्रोत पर आवर्धन किया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्रायोगिक रूप से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में SCADA तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रकिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम हैं।

पूर्व में जिला दुर्ग एवं राजनांदगांव की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका था। इसी कड़ी में जिला रायपुर की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को भी एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ हैं। राज्य की अन्य जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50000 स्केल के हाइड्रोजियोलाजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है।

- जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नगवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (NRSA) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10000 स्केल पर हाइड्रोजियोलाजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु उपयोग किया जा रहा है।

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है।

- **हैण्डपंप ट्रैकर** (Hand Pump Tracker)

 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु वर्तमान में लगभग 2,72,493 हैण्डपंप कियान्वित है जिनकी बेहतर निगरानी हेतु इस मोबाईल आधारित प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली से हैण्डपंप की ऑनलाईन जी.आई.एस. लोकेशन जानकारी प्राप्त की जाती है कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून भूजल स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु भी किया जा रहा है।

**
जल संरक्षण है
**



जल ही जीवन है, जल है तो कल है।



बहुल ग्रामों की धुरली जलप्रदाय योजनांतर्गत निर्मित उच्चस्तरीय जलागार ग्राम बड़ेकमेली।





गरियाबंद आवर्धन जलप्रदाय योजना जल शोधन संयंत्र।



नलजल प्रदाय योजना ग्राम कोलेगांव विकास खण्ड पण्डरिया जिला - कबीरधाम



आंगनबाड़ी में पेयजल व्यवस्था ग्राम दुपई विकास खण्ड राजपुर जिला बलरामपुर





कुरूद आवर्धन जल प्रदाय योजना जल शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 3.50 एम.एल.डी.

ग्रामीण पेयजल शिकायत से संबंधित टोल फ्री नम्बर - 18002330008